न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00460

सचिव नगर विकास न्यास कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. जगदीश आत्मज श्री श्योदास जाति भील निवासी रथकांकरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 23.07.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.07.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 91 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रथकांकरा तहसील लाडपुरा में खसरा नम्बर 232 रकबा 0.83 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि का वादी रिकॉर्डेड खातेदार है । वादी ने उक्त आराजी को पूर्व खातेदारान जगदीश, रमेश से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तथा उक्त आराजी का नामान्तरकण वादी के पक्ष में दिनांक 26.07.2013 को तस्दीक किया जाकर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया तब से ही वादी उक्त आराजी का खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है । वादी की आराजी को बिना सूचना दिये बिना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही 90 बी की कार्यवाही करके नगर विकास न्यास के खाते दर्ज कर दी गई । वादी को नवम्बर, 2015 में पटवारी हल्का के द्वारा बताने पर कि उक्त आराजी खसरा नम्बर 232 रकबा 0.61 हैक्टर नगर विकास न्यास कोटा के खाते में दर्ज है । इस प्रकार वादी का रकबा 0.22 हैक्टर राजस्व रिकॉर्ड में कम दर्ज किया गया है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि खसरा नम्बर 232 रकबा 0.83 हैक्टर को राजस्व रिकॉर्ड में 0.61 हैक्टर कमी रकबा दर्शाकर प्रतिवादी क्रम 02 के खाते धारा 90 में कार्य कर दर्ज की है उसे वापस वादी के खाते में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया है तथा वादी की आराजी का पूर्ण रकबा 0.61 हैक्टर के स्थान पर 0.83 हैक्टर दर्ज किये जाने तथा वादी की आराजी का कमी रकबा पूर्वी दक्षिणी सिवायचक सरकारी खसरा नम्बर 232/273 एवं 232/271 से कमी रकबा पूर्ण किये जाने का निर्णय एवं डिक्री पारित किया जावे प्रतिवादी क्रम 01 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 22.06.2018 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2018 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 02 नगर विकास न्यास कोटा अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । लोक अदालत में समस्त पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा पेश किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी अपने पैनल लॉयर के मूल पत्रावली लौटाए जाने व विधिक राय हेतु प्राप्त होने पर उसमें नकल देखने पर दिनांक 13.11.2019 को हुई । प्रभारी अधिकारी लम्बे समय से चुनाव ड्यूटी में व्यस्त रहने से पत्रावली का समय पर अवलोकन नहीं कर सके । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 और 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया उसमें वादी के द्वारा ग्राम रथकांकरा तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 232 रकबा 0.83 हैकटर का स्वयं को खातेदार काश्तकार जाहिर किया और नगर विकास न्यास कोटा के खाते से इस आराजी को गलत रूप से दर्ज होना और स्वयं के खाते दर्ज कराने की प्रार्थना की । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है जो सीपीसी के प्रावधानो के विपरीत है । लोक अदालत में प्रतिवादी क्रम 02 और उनके अभिभाषक की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है । पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ था । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.07.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट की आराजी नक्शे में कम दर्ज की गई है । रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 232 का रकबा 0.83 हैक्टर हे परन्तु मौके पर 0.61 हैकटर है जो कि 0.22 हैक्टर कम है । खसरा नम्बर 232/273 और 232/271 की भूमि जो कि वादी की आराजी से अडवा है उससे वादी अपना रकबा पूर्ण करवाया चाहते हैं और उसी के लिए दावा पेश किया गया था । दावा पेश होने के बाद में प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा पेश किया गया । तनकीयात कायम की गई, साक्ष्य वादी से जिरह भी प्रतिवादी के द्वारा की गई । पत्रावली बहस में लम्बित थी और लोक अदालत में गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.07.2018 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली वादी के गवाह से जिरह पूर्ण होने के बाद में प्रतिवादी के वकील के इस कथन कि जवाबदावे के कथनों को ही साक्ष्य माना जावे, बहस में नियत की गई थी । लोक अदालत में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी डिक्री किया गया है । दावे एवं जवाबदावे के आधार पर प्रकरण में परीक्षण न्यायालय के द्वारा 05 तनकीयात कायम की गई है । परन्तु निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया गया है जबकि सीपीसी के आदेश 20 नियम 05 के अनुसार तनकीवार निर्णय पारित किया जाना अनिवार्य होता है । लोक अदालत में प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में बिना किसी राजीनामे के गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । इन तथ्यों के आधार पर परीक्षण न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.07.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम की गई तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 06.09.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 23.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा